



25

₹ 16.9.14 मरे

निर्वाचनी नियमों का  
प्रभाग १५(१)

16.9.14

विवेदकगण  
18.9.14

## न्यायालयः— माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. / 2014 निगरानी ₹ 3159- ॥१॥

- |                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| 1. गुलाब सिंह   | पुत्रगण<br>मेहरवान सिंह |
| 2. वीर सिंह     |                         |
| 3. सुल्तान सिंह |                         |
| 4. राज सिंह     |                         |
| 5. पंजाब सिंह   |                         |
- निवासीगण ग्राम धमधोली तह. नरवर  
जिला शिवपुरी म.प्र.

— आवेदकगण

### विरुद्ध

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. लक्ष्मण सिंह             | पुत्रगण<br>रघुनाथ सिंह रावत<br>निवासीगण ग्राम धमधोली तह. नरवर<br>जिला शिवपुरी म.प्र. |
| 2. अर्जुन सिंह              |  |
| 3. भागीरथ पुत्र वैजनाथ रावत |  |

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959

न्यायालय नायब तहसीलदार महोदय नरवर जिला शिवपुरी के  
प्र.क. 27,36,37 / अ-12 / 13-14 में पारित आदेश दिनांक 10.  
09.2014 के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है।

निगरानी के संक्षेप में तथ्यः—

1. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार महो. नरवर जिला शिवपुरी के समक्ष भूमि सर्वे क. 1231 एवं 1201 मिन रकवा 0.15 हें. के सम्बंध में सीमाकंन आवेदन पत्र अनावेदकगण के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसका प्रकरण क्रमांक 27,36,37/अ-12/13-14 पर दर्ज किया जाकर आवेदक को पक्षकार बनाये बिना आवेदक के स्वत्व स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि जिसका सर्वे क. 1600 को प्रतिप्रार्थी द्वारा गलत सीमाकंन आवेदकगण के भूमि सर्वे क. 1600 के पूर्वजो द्वारा खेती करते चले आ रहे हैं। सीमाकंन के समय आवेदकगण को बिना सुने लगभग कुछ भूमि का भाग कम हो जाने के कारण आवेदकगण प्रभावित पक्षकार है। परन्तु अनावेदकगण द्वारा बिना पक्षकार बनाये सुनवाई तथा पक्ष समर्थन का अवसर प्रदान किये आदेश दिनांक 10.09.2014 से सीमाकंन आदेश करना चाहते हैं। जिसकी आपत्ति आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत की है। परन्तु आवेदकगण को उक्त

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3159-तीन/14

जिला - शिवपुरी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
१४/६/2019	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश बेलापुलकर उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के सीमांकन आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश के विरुद्ध सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20.06.2019 को अनुविभागीय अधिकारी नरवर जिला शिवपुरी के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p> <p><u>M</u> <u>अनुविभागीय अधिकारी नरवर</u></p>	